ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर०ई० वाद सं०–36 / 2019–20

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
22.05.24	**आदेश** प्रस्तुत आर०ई० वाद संख्या–36 / 2019–20 (मिनहाज आलम–बनाम–अबिद खान एवं अन्य) आवेदक–मिनहाज आलम, पिता–स्व0 अब्दुल रज्जाक, सा०–लखना, थाना व अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर के द्वारा विपक्षी–अबिद खान एवं अन्य, सा०–लखना, थाना व अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् प्रशनगत भूमि मौजा–लखना, थाना नं0–267, जमाबंदी नं०–01, दाग नं०–260, 373, 374 में कुल रकवा–30 डी0 जमीन से उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। 02. इस संबंध में विपक्षी को नोटिस निर्गत करते हुए, अंचल अधिकारी, मधुपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक–186 / रा०, दिनांक–15 / 03 / 2021 एवं पत्रांक–18 / रा०, दिनांक–05 / 01 / 2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। 03. अंचल अधिकारी, मधुपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा–लखना, थाना नं0–267, जमाबंदी नं०–01, दाग नं०–260, रकवा–09 डी0, दाग नं0–373, रकवा–25 डी0, दाग नं0–374, रकवा–19 डी0, किस्म–मकान मेसहन कहकर अब्दुल मियां वल्द नन्दन मियां के नाम से सर्वे पर्चा में दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के परपौत्र है। विपक्षी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। विपक्षी द्वारा आवेदित भूमि के अंश रकवा–30 डी0 पर अवैध कब्जा किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। 04. इस संबंध में विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि रैयती जमाबंदी है, जो अहस्तांतरणीय है। विपक्षी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है, परन्तु फिर भी विपक्षी द्वारा गैरकानूनी रूप से आवेदित भूमि पर दखल–कब्जा किया गया है, जो संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 के विरूद्ध है। 05. अतः उपरोक्त तथ्यों, दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, मधुपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी–अबिद खान एवं अन्य, सा०–लखना, थाना व अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर को मौजा–लखना, थाना नं0–267, जमाबंदी नं०–01, दाग नं०–260, 373, 374, कुल रकवा–30 डी0 भूमि से संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–42 के तहत् उच्छेद किया जाता है। तदनुसार उच्छेदी परवाना निर्गत करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मधुपुर को भेजें। **लेखापित एवं शुद्धित** 22/05/24 — अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। 22/05/24 — अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	

Digitally signed by AASHISH AGARWAL
Date: 2024.06.28 17:44:13 +05:30
Location: 192.168.29.15